3तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/2004/16/अलवर बद्री वगैरह बनाम रामकिशन वगैरह	नम्बर व तारीख
09-05-23	**एकलपीठ** **श्री सत्तार खां, सदस्य** **उपस्थित–** श्री हिमांशु सोगानी, अभिभाषक प्रार्थी श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–84 न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–09–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्व0 श्री नान्चा ने सहायक जिला कलेक्टर, अलवर के समक्ष एक दावा गीला व सेढ्या पुत्रान कालू मीणा व मु0 बाई पुत्री कालू व मु0 गणेशी बेवा कालू के विरूद्ध प्रस्तुत किया। सहायक जिला कलेक्टर अलवर के समक्ष प्रतिवादीगण गीला वगैरह द्वारा ना तो कोई इजरा की कार्यवाही की और ना ही भूमि का उन्हें खातेदार कृषक घोषित किये जाने हेतु कोई कार्यवाही की गयी परन्तु फिर भी उन्होंने तहसीलदार अलवर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर नामांतरकरण उनके नाम तस्दीक किये जाने का अनुरोध किया तथा तहसीलदार द्वारा दिनांक 3–10–83 को नामांतरकरण संख्या 106 गीला वगैरह के नाम तस्दीक फरमा दिया। उपरोक्त नामांतरकरण के विरूद्ध प्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारी स्व0 श्री नान्चा ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। दौरान अपील नान्चा व गीला का स्वर्गवास हो जाने पर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम प्रतिस्थापित किये गये। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 1–12–99 द्वारा उक्त अपील को निरस्त फरमा दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर के यहां द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। जिसे न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 24–9–03 द्वारा खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/2004/16/अलवर बद्री वगैरह बनाम रामकिशन वगैरह	नम्बर व तारीख
	विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि सक्षम न्यायालय ने आज दिनांक तक अप्रार्थीगण अथवा उनके हक पूर्वाधिकारी को भूमि विवादग्रस्त का खातेदार कृषक घोषित किये जाने का ना तो कोई निर्णय एवं डिक्री पारित की और ना ही किसी सक्षम न्यायालय ने उक्त व्यक्तियों के नाम राजस्व भू अभिलेखों में अंकित किये जाने के आदेश पारित किये परन्तु फिर भी तहसीलदार अलवर ने बिना किसी आधार के नामांतरकण संख्या 106 दिनांक 3–10–83 को तस्दीक फरमा दिया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त अवैध नामांतरकरण को बहाल रखे जाने के प्रश्नाधीन निर्णय पारित किये है और इस प्रकार अपने अधिकारों के प्रयोग में गम्भीर अवैधानिकता एवं अनियमितता की है। दिनांक 5–2–75 के निर्णय द्वारा सहायक जिला कलेक्टर, अलवर ने मात्र दावे को दाखिल दफ्तर किये जाने का आदेश पारित किया। ऐसे निर्णय से गीला व सेडू पुत्रान कालू, श्रीमती गणेशी बेवा कालू व मु0 बाई पुत्री कालू को ना तो खातेदार कृषक घोषित किये जाने का निर्णय माना जा सकता है और ना ही उनके नाम दर्ज किये जाने का ही कोई आदेश करार दिया जा सकता है परन्तु फिर भी उक्त निर्णय के आधार पर प्रस्तुत किये गये नामांतरकरण को अधीनस्थ न्यायालयों ने बहाल रखे जाने का प्रश्नाधीन निर्णय पारित किये है और इस प्रकार अपने अधिकारों के प्रयोग में गम्भीर अवैधानिकता एवं अनियमितता की है। अतः निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर का निर्णय दिनांक 24–9–2003, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर का निर्णय दिनांक 1–12–99 तथा नामांतरकरण संख्या 106 तहसीलदार अलवर दिनांक 3–10–83 को निरस्त फरमाया जावे। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि तहसीलदार ने न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 05–2–1975 के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जिसे दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा भी बहाल रखा गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः निगरानी खारिज किये जाने	

3तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/2004/16/अलवर बद्री वगैरह बनाम रामकिशन वगैरह	नम्बर व तारीख
	योग्य है। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी ने न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के समक्ष वाद बाबत इस्तकरारहक का प्रस्तुत किया जिसमें पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया। इसी राजीनामे के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05–02–75 को डिक्री पारित कर दी। इसी निर्णय व डिक्री के आधार पर तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 106 दर्ज कर स्वीकृत किया गया। यदि प्रार्थी / वादी को इस सम्बन्ध में आक्षेप था तो न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 05–2–1975 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए थी। नामान्तरकरण संख्या 106 मुताबिक आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर का निर्णय व डिक्री दिनांक 05–2–1975 के आधार पर स्वीकृत किया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अपीलीय न्यायालय ने विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुये अपीलांट की अपील विधि अनुसार निरस्त की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा प्रकरण में समवर्ती निष्कर्ष व्यक्त करते हुये प्रार्थी की दोनों अपीले खारिज की है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निष्कर्षों में निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। दोनों ही निर्णयों में तथ्य या विधि संबंधी ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। अतः निगरानी खारिज योग्य है। परिणामतः हस्तगत अपील एतदद्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(सत्तार खां)** **सदस्य**	